यह निरीक्षण प्रतिवेदन **चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मैंगलोर (हरिद्वार)** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मैंगलोर (हरिद्वार) के माह 04/2012 से 06/2018 तक के लेखा– अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, **श्री खुशी राम** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 31.07.2018 से 03.08.2018 तक श्री **दानिश इकबाल**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः– इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।** वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 06/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

   इकाई द्वारा जनपद में स्थापित चिकित्सा इकाईयों के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सम्पादन, अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण **मैंगलोर** है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	0	0	102.55	90.86	0	0	0	11.69	0	0
2016–17	0	0	94.21	87.11	0	0	0	7.10	0	0
2017–18	0	0	120.29	100.66	0	0	0	19.63	0	0
2018–19 (06/2018 तक)	0	0	79.04	32.07	0	0	0	46.97	0	0

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	एन0एच0एम0, आई0डी0एस0पी0, एन0एल0ई0पी0, एन0टी0सी0पी0 इत्यादि	-	67.86	25.40		42.46
2016–17		-	56.56	54.29		2.29
2017–18		-	46.33	53.50		-7.17*
2018–19 (06/2018 तक)		-	00.95	02.77		-

***** वर्ष 2017-18 में अधिक्य व्यय विगत वर्षों के अवशेष से किया गया।

(iii) इकाई को बजट आबंटन केन्द्रांश एवं राज्यांश के रुप में राज्य स्तर से अवमुक्त किया जाता है तथा जिला योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "**सी**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

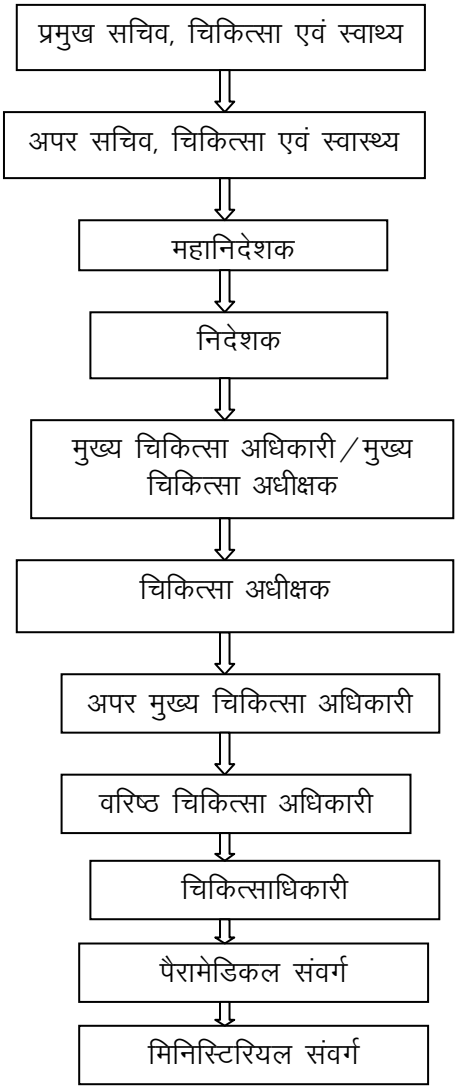

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मैंगलोर (हरिद्वार)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मैंगलोर (हरिद्वार)** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। **03/2016, 03/2017 तथा 03/2018** को अधिकतम व्यय (**चिकित्सा प्रबंधन समिति तथा राज्य ब्यय**) के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

<u>भाग दो -"ब"</u>

प्रस्तर 01: जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत रु. 107.01 लाख विलंब से भुगतान।

जननी सुरक्षा योजना की ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार प्रसव की संभावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक लाभार्थी हेतु जेएसवाई कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उक्त कार्ड प्रसव की संभावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व संबन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्साधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को स्वास्थ्य केन्द्र से डिस्चार्ज करते समय उसको चैक प्रदान किया जा सके एवं लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रूप से उसे देय धनराशि का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। यह धनराशि ग्रामीण लाभार्थियो के लिए रू0 1400/- प्रति लाभार्थी तथा शहरी लाभार्थियो के लिए रू0 1000/- प्रति लाभार्थी है। प्रसव से सात दिन पूर्व अथवा सात दिन पश्चात किया गया भुगतान अवैध माना जाएगा।

इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गयी अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत कुल 7705 संस्थागत प्रसव हुए थे जिसमे ग्रामीण क्षेत्र के 7644 लाभार्थियो को 7 से अधिक दिन के बाद प्रोत्साहन राशि का निर्गत किया गया था। जिसका विवरण निमन्वत था-

वित्तीय वर्ष	**कुल प्रसव**	**प्रसव के 7 दिन से अधिक की देरी से चेक जारी होने वाले लाभार्थियो की संख्या (ग्रामीण)**	**भुगतान की गयी राशि @ 1400**
2013-14	1272	1272	1780800
2014-15	1386	1386	1940400
2015-16	1708	1708	2391200
2016-17	1834	1799	2518600
2017-18	1505	1479	2070600
योग	**7705**	**7644**	**10701600**

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अधिकांश प्रकरणों में जननी सुरक्षा योजना के कार्ड प्रसव के दिन भरे गये थे तथा प्राय: लाभार्थियो को भुगतान सात से अधिक दिन की देरी से और कई माह की देरी से किया गया था। जांच मे यह भी पाया गया कि विगत वर्षो मे बहुत सारे लाभार्थियो को भुगतान संप्रेक्षा तिथि तक भी नहीं किया गया था।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन मे नियमो एवं प्रविधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया और 107.01 लाख का विलंब से भुगतान किया गया था जो जननी सुरक्षा योजना के नियमो एवं प्राविधानों का उल्लंघन था।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर मे कहा कि भविष्य में अनुपालन किया जाएगा।

अतः जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत रु. 107.01 लाख के विलंब से भुगतान किये जाने का प्रकरण शासन/उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01 : चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ के पद रिक्त रहने के कारण चिकित्सा सेवाओं पर दुषप्रभाव

चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ केंद्र, हरिद्वार,भगवानपुर कस्बे मे स्थित है जहां पर प्रति दिन अत्यधिक संख्या मे रोगी आते हैं। बहुतायात संख्या मे नवजात शिशुओं का जन्म होता है,ऐसी स्थिति मे स्टाफ की कमी एक गंभीर समस्या है।सामुदायिक स्वास्थ केंद्र भगवानपुर, के अन्तर्गत चिकित्सक एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के 23 पद स्वीकृत थे, जिसके सापेक्ष 12 चिकित्सक एवं सहयोगी स्टाफ की तैनाती थी, तथा 11पद रिक्त थे।

रिक्त पदो का विवरण निमन्वत था-

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
फिजीशियन	1		1
सर्जन	1		1
आर्थोपेदिक सर्जन	1		1
बाल रोग विशेषज्ञ	1		1
निश्चेतक	1		1
रेडिओलजिस्ट	1		1
दांत चिकित्सक	1		1
चिकित्सा अधिकारी कम्यूनिटी हैल्थ	1		1
एक्सरे टेकनीशियन	1		1
वाहन चालक	1		1
स्वच्छक	1		1
			11

विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह कि उक्त चिकित्सालय मे रोगियों की संख्या अत्यधिक थी उसके बाद भी चिकित्सा अधीक्षक फिजीशियन,सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ,तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ का का पद रिक्त था मात्र दो चिकित्सा अधिकारी तैनात थे,जो आवश्यकता से काफी कम था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामुदायिक स्वास्थ केंद्र भगवानपुर मे चिकित्सको एवं सहयोगी स्टाफ के 11 पद (47.82%) रिक्त थे। पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाओं के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई होना स्वाभाविक था तथा स्थानीय जनता को मिलने वाले स्वास्थ सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने के कारण कार्यरत चिकित्सकों द्वारा अधिक कार्य किया जा रहा है तथा चिकित्सा सेवाओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

अतः चिकित्सकों तथा सहयोगी स्टाफ के पद रिक्त रहने के कारण चिकित्सा सेवाओं पर दुष्प्रभाव का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 02: बजट की अवास्तविक मांग के कारण रु. 38.42 लाख का समर्पण।

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होता है कि सम्यक विचारोपरान्त बजट की मांग प्रस्तुत करे तथा धनराशि के अवशेष रहने की स्थिति में यथा समय समर्पित कर दिया जाना चाहिये जिससे कि अन्यत्र उसका उपयोग हो सके।

चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र **मंगलौर**, हरिद्वार के बजट पत्रावली एवं संबन्धित लेखा-अभिलेखों के नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विगत तीन वर्षो 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 मे सामुदायिक स्वास्थ केंद्र मगंलौर कार्यालय द्वारा स्थापना मद रुपए 38.42 लाख की धनराशि वर्ष के अंत मे समर्पित किया गया था, जिसका विवरण निमन्वत था-

(धनराशि रु.में)

वर्ष	**प्रारम्भिकअवशेष**		**स्थापना**		**गैरस्थापना**		**बचत/समर्पण**	
	स्थापना	**गैरस्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**स्थापना**	**गैरस्थापना**
2015-16	00	00	10255090	9086066	00	00	1169024	00
2016-17	00	00	9420946	8711337	00	00	709609	00
2017-18	00	00	12029244	10066347			1962897	00
			31705280	27863750			3841530	

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामुदायिक स्वास्थ केंद्र मगंलौर कार्यालय द्वारा स्थापना मद मे बजट की मांग आवश्यकता से अधिक की जा रही थी तथा विगत दो वित्तीय वर्ष मे रुपए 38.42 लाख की धनराशि वर्ष के अन्त मे समर्पित किया गया था। जिस कारण उक्त राशि का अन्यत्र उपयोग किया जाना सम्भव नहीं था।

उपरोक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि बजट की मांग अनुमान पर आधारित होती है, अतः कमी या अधिक होना स्वाभाविक है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बजट की मांग आवश्यकता के अनुसार ही किया जाना चाहिए था।

अतः बजट की अवास्तविक मांग के कारण रु. 38.42 लाख के समर्पण का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	टिप्पणी
	इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है		

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----शून्य-----

भाग–V

कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मैंगलोर (हरिद्वार)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

(i) **मासिक व्यय स्थापना**

1. सतत् अनियमितताऐंः

(i) –– शून्य ––

2. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा0 ए0 के0 सिन्हा	चिकित्सा **अधीक्षक**	11.07.2011 – 12.08.2012
2	डा0 पी0 के0 सिंह	चिकित्सा **अधीक्षक**	13.08.2012-वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मैंगलोर (हरिद्वार)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ सामाजिक क्षेत्र